न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 41/2016

1 अमरसिंह उम्र 62 साल पुत्र स्व. श्रीमती गुलाबकोर पत्नी स्व. नाथाराम जाति जाट पेशा खेती निवासी सुरेहती मोडियान (सुरेती मोडियान) तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।

2 मृतक सज्जन सिंह पुत्र स्व. श्रीमती गुलाबकोर पत्नी स्व. नाथाराम जाति जाट निवासी सुरेहती मोडियान (सुरेती मोडियान) तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा। –नोट दौराने अपील दिनांक 23.02.2016 को देहान्त हो गया।

2/1 श्रीमती भतेरी आयु 59 साल पत्नी स्व. सज्जन सिंह

2/2 श्रीमती लिलम आयु 34 साल पत्नी स्व. मन्जीत जाति जाट निवासी सुरेहती मोडियान (सुरेती मोडियान) तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।

2/3 सविता आयु 14 साल पुत्री स्व. मन्जीत

2/4 मनिष आयु 12 साल पुत्र स्व. मन्जीत जाति जाट निवासी सुरेहती मोडियान (सुरेती मोडियान) तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा। नाबालिगान जरिये वलिया कुदरती माता श्रीमती लिलम आयु 34 साल पत्नी स्व. मन्जीत जाति जाट निवासी सुरेहती मोडियान (सुरेती मोडियान) तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा माता खुद।

2/5 श्रीमती सुशीला आयु 38 साल पुत्री स्व. सज्जन सिंह पत्नी नरेशसिंह जाति जाट निवासी बड़राई पोस्ट बड़राई तहसील बाढड़ा जिला भिवानी हरियाणा।

अपीलांट

बनाम

1 मृतक हनुमान सिंह पुत्र स्व. खेताराम जाति जाट निवासी ढाका माण्डी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू नोट– दौरान अपील दिनांक 14.05.2020 को देहान्त हो गया।'

भू प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

1/1 श्रीमती भरपाई देवी आयु 77 साल पत्नी हनुमान सिंह
1/2 छत्रपाल सिंह आयु 53 साल पुत्र हनुमान सिंह
1/3 विजेन्द्र आयु 50 साल पुत्र हनुमान सिंह
1/4 नरेन्द्र आयु 46 साल पुत्र हनुमान सिंह
1/5 श्रीमती कमला पुत्री स्व. हनुमानसिंह पत्नी राजकुमार जाति जाट निवासी ग्राम व पोस्ट पोटीया तहसील लुहारू जिला भिवानी हरियाणा।
2 श्रीमती सजना पत्नी स्व. लोकराम
3 कृष्णकुमार पुत्र स्व. लोकराम जाति जाट निवासी ढाका मण्डी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
4 श्रीमती निर्मला पत्नी अनिल कुमार
5 श्रीमती घोटी पत्नी अमरदीप
6 श्रीमती भतेरी पत्नी अमरजीत पुत्रीगण स्व. लोकराम जाति जाट निवासी जेवली तहसील बाढड़ा जिला भिवानी हरियाणा।
7 मृतका श्रीमती जयकोरी पत्नी स्व. खेताराम जाति जाट निवासी ढाका माण्डी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.। नोट– दौराने दावा देहान्त हो गया।
8 मीरसिंह (वीरसिंह) पुत्र स्व. खेताराम
9 शेरसिंह पुत्र स्व. खेताराम
10 हुक्मीचन्द पुत्र स्व. खेताराम
11 जयवीर पुत्र स्व. खेताराम जाति जाट निवासी ढाका माण्डी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
12 श्रीमती धर्मा पत्नी धर्मचंद पुत्रीगण स्व. खेताराम।
13 श्रीमती सन्तोष पत्नी सुरजभान पुत्रीगण स्व. खेताराम जाति जाट निवासी सुरेहती मोडियान (सुरेती मोडियान) तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
14 उप पंजीयक एवं तहसीलदार तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
15 राजस्थान सरकार भूमिअधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

16 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बुहाना जरिये शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अ.धारा 223 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 05.01.2016
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनू दावा
उनवानी अमरसिंह बनाम हनुमान आदि दावा घोषणा
स्थाई निषेधाज्ञा व बेदखली दावा संख्या 229/2011

उपस्थिति :

1. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 24.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 229/2011 में पारित निर्णय दिनांक 05.01.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्टस/वादीगण ने जमीन गत खसरा नम्बर 18 रकबा 10 बीघा 9 बिश्वा, हाल खसरा नम्बर 14

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

रकबा 1.54 हैक्टेयर, हाल खसरा नम्बर 15 रकबा 1.10 हैक्टेयर व गत खसरा नम्बर 61 रकबा 24 बीघा 13 बिश्वा, हाल खसरा नम्बर 49 रकबा 2.80 हैक्टेयर, हाल खसरा नम्बर 96 रकबा 3.37 हैक्टेयर, गत खसरा नम्बर 11 रकबा 4 बीघा 19 बिश्वा, हाल खसरा नम्बर 114 रकबा 1.25 हैक्टेयर वाके ग्राम ढाका मण्डी तहत तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू के बाबत रेस्पोडेन्टस/प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 16 के खिलाफ दावा घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा व बेदखली दावा संख्या 229/2011 किया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनू ने अपीलान्टस/वादीगण का दावा निर्णय व डिक्री दिनांक 05.01.2016 से खारिज कर दिया व बिना किसी प्रतिदावे के न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना ने अपीलान्टस/वादीगण के खिलाफ विवादित जमीन के बाबत स्थाई निषेधाज्ञा जारी की। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना के निर्णय व डिक्री दिनांक 05.01.2016 को अपास्त करवाने के लिये व दावा डिक्री करवाने के लिये यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि दावे व जवाब दावे पर केवल विवाद यह है कि उक्त जसवन्त सिंह की उक्त कृषि भूमि किसको व किस आधार पर मिली। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1/प्रतिवादी नम्बर 1 ने तथाकथित वसीयत दिनांक 10.02.1969 से विवादित जमीन मिलने का कथन किया है। अपीलान्टस/वादीगण ने दावे की धारा 1 में जसवन्त की मृत्यु बिना वसीयत के होने का तथ्य दर्ज किया हैं। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना ने तथाकथित वसीयत के बाबत विवाद बिन्दु कायम किये बिना ही इस आधार पर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के हक में खातेदारी मिलने का निर्णय पारित करने में भूल की है। उक्त तथाकथित वसीयत के बाबत विवाद बिन्दु कायम करने के लिये रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 1/प्रतिवादी नम्बर ने प्रतिदावा पेश नहीं किया व न ही इस बाबत कोई विवाद बिन्दु कायम किया गया। बिना प्रतिदावे के बिना विवाद बिन्दु के बिना किसी अनुतोष के न्यायालय उपखण्ड

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अधिकारी बुहाना ने विवादित जमीन के बाबत अपीलान्टस/वादीगण के खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 05.01.2016 से स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में भुल की है। विचारण न्यायालय ने विवाद बिन्दु संख्या 1 व 2 व विवाद बिन्दु संख्या 3 व 4 को एक साथ निर्णित करने में भुल की है। आदेश 20 नियम 5 सि.प्र.स. के अनुसार प्रत्येक विवाद बिन्दु का निर्णय अलग से पारित किया जाना आवश्यक है। जसवन्त के देहान्त होने पर दिनांक 09.10.1974 को उत्तराधिकार में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 8 से 11 व लोकराम ने नामान्तकरण दर्ज करवाया। इसके बाद दिनांक 13.11.1976 को उक्त पांचो के नाम काटे गये व जसवन्त की जमीन का नामान्तकरण इनके पिता खेताराम के नाम दर्ज किया गया। इसके बाद दावा संख्या 300/1978 रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने अपने पिता खेताराम पर विवादित जमीन के बाबत पर खेताराम की स्वीकारोक्ति के आधार पर दिनांक 27.12.1978 को अपनी खोतदारी गलत घोषित करवायी। इस दावे में अपीलान्टस पक्षकार नहीं थे। इस प्रकार प्रदर्श 18 से प्रदर्श 19 नामान्तकरण से यह साफ जाहिर है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधान के अनुसार जसवन्त के वारिस वादीगण को छुपाकर गलत नामान्तकरण दर्ज करवाये व गलत खातेदारी प्राप्त की। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने तथाकथित वसीयत प्रदर्श ए 9 से प्रदर्श ए 11 साबित नहीं की। जसवन्त की अंगूठा निशानी साबित नहीं की गयी। तथाकथित वसीयत की लिखावट व हस्ताक्षर साबित नहीं किये गये। डीडब्लु 2 प्रदर्श ए 9 को साबित नहीं करता व प्रतिपरीक्षण में प्रदर्श ए 9 गोदनामा होने का कथन करता है। इसी प्रकार डीडब्लु 3 प्रदर्श ए 9 को साबित नहीं करता। प्रतिपरीक्षण में यही गवाह लिखावट को गोदनामा बताता है। इस प्रकार प्रदर्श ए 9 तथाकथित लिखावट (वसीयतनामा) साबित नहीं है। दावा संख्या 300/1978 में अपीलान्टस पक्षकार नहीं थे व इसकी निर्णय व डिक्री की अपील को मियाद में न होना मानकर खारिज किया गया व द्वितीय अपील को दावा विचाराधीन होने पर खारिज किया गया। गुणावगुण पर निर्णय पारित नहीं हुये। दावा संख्या 58/1999 भी गुणावगुण पर खारिज नहीं हुआ व अदम हाजरी में खारिज हुआ। रेस्पोडेन्ट न.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

1 की ओर से यह अभिवचन नहीं है कि समान पक्षकारान में समान वाद कारण के आधार पर दावा पोषणीय न हो। दावा संख्या 300/1978 रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के पिता की स्वीकारोक्ति पर आधारित निर्णय व डिक्री है। इस कारण पूर्व न्याय के पिता की स्वीकारोक्ति पर आधारित निर्णय व डिक्री है। इस कारण पूर्व न्याय का सिद्धान्त या विबन्ध का सिद्धान्त लागु नहीं होता। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2023(2) पेज 1042, आरआरटी 2010(2) एससी पेज 981, आरआरटी 2022–23 सप्ली. पेज 293, आरबीजे 2018 पेज 209, आरआरटी 2022(2) पेज 946, आरबीजे 2021 पेज 131 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि वादीगण को वाद वर्णित तथ्यों की जानकारी शुरू से ही रही है। वादी द्वारा घोषणात्मक वाद 58/1999 दिनांक 05.04.1999 को किया था। वह भी मियाद बाहर था। जो दिनांक 27.07.2001 को खारिज हो गया। जिसकी सम्यक जानकारी वादीगण को रही है। वादीगण के बयान रहे कि दावे की तारीख पेशी पर वह खेतड़ी आता था। महीने दो महीने में वकील से मिलता था। फिर सन् 2001 से 2011 तक क्यों कार्यवाही नहीं की। इसका कोई कारण अंकित नहीं किया है। यह भी कि अपील संख्या 38/1998 व द्वितीय अपील राजस्व मण्डल निर्णय 29.03.2010 में भी वाद 58/1999 के दिनांक 27.07.2001 को खारिज हो जाने का अंकन है। प्रतिवादी नम्बर 1 का कब्जा काश्त वाद डिक्री 300/1978 के निर्णय से पहले से ही होकर आदिन तक लगातार निर्बाद व शान्तिपूर्वक होनाा साबित है। वादी ने अपने बयानों में स्वीकार किया है कि सन् 1969 से लेकर आदिन तक वाद वर्णित भूमि पर हनुमान सिंह प्रतिवादी संख्या 1 काश्त कर रहा है व लगान अदा कर रहा है। वादी की यह स्वीकारोक्ति प्रतिवादी संख्या 1 के प्रतिकुल कब्जे को साबित करती है। वादी अमर सिंह बयानों में यह भी स्वीकार करता है कि विवादित भूमि पर हनुमान सिंह ने सन 1993 में कुआं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

बना लिया था तब उसने मना किया था। अर्थात वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे का तथ्य सन 1993 से भी ध्यान में है। लेकिन उसने यह वाद सन 2010 कब्जा किए जाने के आधार पर पेश किया है। वादीगण के कथन सारभूत नहीं है। वादीगण ने मृतक जसवन्त की वाद वर्णित भूमि का पड़ोस व कब्जा काश्त छोड़ दिया है या वादीगण का कब्जा काश्त कभी नहीं रहा जिसके आधार पर भी वादीगण के खातेदारी अधिकारों का अवसान (**extinguish**) हो जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी अधिकारी प्रतिकुल कब्जे के आधार पर अर्जित हो जाते है। मियाद के बिन्दु पर राजस्व अपील अधिकारी सीकर का निर्णय भी है। जिसमें वादीगण की अपील को मियाद बाहर माना गया है। वादीगण का दावा 58/1999 भी मियाद बाहर हो चुका है। वादीगण वाद पत्र 58/1999 के अभिकथनों में कहते है कि वे ग्राम ढाकामण्डी व सुरेहती मोड़ियान तहसील महेन्द्रगढ़ हरियाणा दोनों जगह निवास करते है। काश्त भी कभी प्रतिवादीगण से ओर कभी अन्य लोगों से करवाते है। दोनों जगह आते जाते रहते है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के नियम 133 के अनुसार खातेदारी के किसी भी परिवर्तन की सूचना तीन माह में देनी होगी। लेकिन वादीगण ने जसवन्त सिंह के मरने के बाद 25 वर्षों तक नामान्तकरण बाबत कोई कार्यवाही क्यों नहीं की, कोई सूचना क्यों नहीं दी इसका कोई कारण अंकित नहीं किया है। वादीगण को वाद वर्णित तथ्यों की जानकारी शुरू से ही रही है। वादी द्वारा घोषणात्मक वाद 58/1999 दिनांक 05.04.1999 को किया था। जो दिनांक 27.07.2001 को खारिज हो गया। जिसकी सम्यक जानकारी वादीगण को रही है। वादीगण के बयान रहे कि दावे की तारीख पेश पर वह खेतड़ी आता था। महीने दो महीने में वकील से मिलता था। फिर सन 2001 से 2011 तक वाद के निर्णय की अपील या रेस्टोरेसन की कार्यवाही क्यों नहीं की। इसका कोई कारण अंकित नहीं किया है। यह भी कि अपील संख्या 38/1998 व द्वितीय अपील राजस्व मण्डल निर्णय 29.03.2010 में भी वाद 58/1999 के दिनांक 27.07.2011 को खारिज हो जाने का अंकन है। अर्थात अपीलों के निर्णय के समय भी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

घोषणात्मक वाद के खारिज होने की जानकारी वादीगण को थी। वादी द्वारा वर्ष 1999 में किया गया राजस्व वाद सन 2001 में खारिज हो चुका है। जिसकी जानकारी वादी का पूर्ण रूप से थी। लेकिन उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वादीगण ने कोई कार्यवाही नहीं कि व प्रतिवादी संख्या 1 को परेशान करने के लिए दुसरा यह वाद दिनांक 08.12.2011 को दायर कर दिया गया। वादीगण का तर्क रहा कि निर्णय व डिक्री 300/1978 में वादीगण पक्षकार नहीं थे। वस्तुतः तत्समय् वादीगण खातेदार नहीं होने के कारण वाद के पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं था। इसके संबंध में निष्कर्ष तनकी संख्या 1 व 2 में दिया जा चुका है। वादी का यह भी तर्क रहा कि वादी संख्या 300/1978 का निर्णय पारस्परिक सहमति से हुआ है। मैरीट पर नहीं हुआ है। वस्तुतः वाद 300/1978 भी वसीयत व उत्तराधिकार घोषणा के आधार पर खातेदारी घोषणा का था। जिसमें साक्ष्य लिए गए है एवं प्रतिवादी खेताराम ने वाद को स्वीकार किया है। वादी के यह भी तर्क रहे कि पक्षकारों के मध्य विवाद का निस्तारण नियमित वाद से ही हो सकता है। वादीगण के नियमित वाद संख्या 58/99 का निर्णय मैरिट पर नहीं हुआ। व अपील में भी वाद के तथ्यों का निस्तारण मैरीट पर नहीं हुआ है। इस कारण इस वाद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वस्तुतः अपील/टीए/8143/08/झुन्झुनू का निर्णय दिनांक 29.03.2010 राजस्व मण्डल की खण्डपीठ (राजस्व मण्डल के चैयरमैन व सदस्य) द्वारा दिया गया है। इस निर्णय में वादीगण की अपील मात्र तकनिकी आधार पर निर्णित नहीं की गई है। बल्कि राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय पेज नम्बर 319 आरआरडी 1998 के संदर्भ में मैरीट पर भी निर्णय दिया गया है। जिसके अनुसार माननीय राजस्व मण्डल ने वसीयत दिनांक 10.02.1969 को प्रदर्शित एवं प्रमाणित माना है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के निर्णय 300/1978 में कोई अनियमितता नहीं मानी है और वादीगण को स्वच्छ हाथों (**not come with clean hand**) से नहीं आना व (**woefully lake in Merit**) मैरीट का भी पूर्ण रूप से अभाव माना है। अतः वादीगण के तर्क निराधार है। वादीगण के वाद पत्र में जो आधार विवाद दर्ज

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

किए है वह काल्पनिक है। आधार विवाद ही पैदा नहीं होने से यह वाद खारिज योग्य है। इस वाद में पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जा चुका है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण को वाद वर्णित तथ्यों की जानकारी शुरू से ही रही है। वादी द्वारा घोषणात्मक वाद 58/1999 दिनांक 05.04.1999 को प्रस्तुत किया गया था वह भी मियाद बाहर था, जो दिनांक 27.07.2001 को खारिज हो गया। जिसकी सम्यक जानकारी वादीगण को रही है। वादीगण के बयान रहे कि दावे की तारीख पेशी पर वह खेतड़ी आता था। महीने दो महीने में वकील से मिलता था। फिर सन् 2001 से 2011 तक क्यों कार्यवाही नहीं की इसका कोई कारण अंकित नहीं किया है। अपील संख्या 38/1998 व द्वितीय अपील राजस्व मण्डल निर्णय 29.03.2010 में भी वाद 58/1999 के दिनांक 27.07.2001 को खारिज हो जाने का अंकन है। वादी ने अपने बयानों में स्वीकार किया है कि सन् 1969 से लेकर आदिनांक तक वाद वर्णित भूमि पर हनुमान सिंह प्रतिवादी संख्या 1 काश्त कर रहा है व लगान अदा कर रहा है। वादी की यह स्वीकारोक्ति प्रतिवादी संख्या 1 के प्रतिकुल कब्जे को साबित करती है। वादी अमर सिंह बयानों में यह भी स्वीकार करता है कि विवादित भूमि पर हनुमान सिंह ने सन 1993 में कुआं बना लिया था तब उसने मना किया था। अर्थात वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे का तथ्य सन 1993 से भी ध्यान में है। लेकिन उसने यह वाद सन 2010 कब्जा किए जाने के आधार पर पेश किया है। वादीगण के कथन सारभूत नहीं है। वादीगण का कब्जा काश्त कभी नहीं रहा जिसके आधार पर भी वादीगण के खातेदारी अधिकारों का अवसान (**extinguish**) हो जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी अधिकारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रतिकुल कब्जे के आधार पर अर्जित हो जाते है। मियाद के बिन्दु पर इस न्यायालय का निर्णय भी है। जिसमें वादीगण की अपील को मियाद बाहर माना गया है। वादीगण का दावा 58/1999 भी मियाद बाहर हो चुका है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के नियम 133 के अनुसार खातेदारी के किसी भी परिवर्तन की सूचना तीन माह में देनी होगी। लेकिन वादीगण ने जसवन्त सिंह के मरने के बाद 25 वर्षों तक नामान्तकरण बाबत कोई कार्यवाही क्यों नहीं की, कोई सूचना क्यों नहीं दी इसका कोई कारण अंकित नहीं किया है। वादीगण को वाद वर्णित तथ्यों की जानकारी शुरू से ही रही है। वादी द्वारा घोषणात्मक वाद 58/1999 दिनांक 05.04.1999 को किया था। जो दिनांक 27.07.2001 को खारिज हो गया। जिसकी सम्यक जानकारी वादीगण को रही हैं। सन 2001 से 2011 तक वाद के निर्णय की अपील या रेस्टोरेसन की कार्यवाही क्यों नहीं की। इसका कोई कारण अंकित नहीं किया है। अपील संख्या 38/1998 व द्वितीय अपील राजस्व मण्डल निर्णय 29.03. 2010 में भी वाद 58/1999 के दिनांक 27.07.2011 को खारिज हो जाने का अंकन है। अर्थात अपीलों के निर्णय के समय भी घोषणात्मक वाद के खारिज होने की जानकारी वादीगण को थी। वादी द्वारा वर्ष 1999 में किया गया राजस्व वाद सन 2001 में खारिज हो चुका है। जिसकी जानकारी वादी का पूर्ण रूप से थी। लेकिन उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वादीगण ने कोई कार्यवाही नहीं की एवं यह वाद दिनांक 08.12.2011 को दायर कर दिया गया। वादीगण का तर्क रहा कि निर्णय व डिक्री 300/1978 में वादीगण पक्षकार नहीं थे। वस्तुतः तत्समय् वादीगण खातेदार नहीं होने के कारण वाद के पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं था। इसके संबंध में निष्कर्ष तनकी संख्या 1 व 2 में दिया जा चुका है। वादी का यह भी तर्क रहा कि वादी संख्या 300/1978 का निर्णय पारस्परिक सहमति से हुआ है। मैरीट पर नहीं हुआ है। वस्तुतः वाद 300/1978 भी वसीयत व उत्तराधिकार घोषणा के आधार पर खातेदारी घोषणा का था। जिसमें साक्ष्य लिए गए है एवं प्रतिवादी खेताराम ने वाद को स्वीकार किया है। वादी के यह भी तर्क रहे कि पक्षकारों के मध्य

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विवाद का निस्तारण नियमित वाद से ही हो सकता है। वादीगण के नियमित वाद संख्या 58/99 का निर्णय मैरिट पर नहीं हुआ व अपील में भी वाद के तथ्यों का निस्तारण मैरीट पर नहीं हुआ है। इस कारण इस वाद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वस्तुतः अपील/टीए/8143/08/झुन्झुनू का निर्णय दिनांक 29.03.2010 राजस्व मण्डल की खण्डपीठ (राजस्व मण्डल के चैयरमैन व सदस्य) द्वारा दिया गया है। इस निर्णय में वादीगण की अपील मात्र तकनिकी आधार पर निर्णित नहीं की गई है। बल्कि राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय पेज नम्बर 319 आरआरडी 1998 के संदर्भ में मैरिट पर भी निर्णय दिया गया है। जिसके अनुसार माननीय राजस्व मण्डल ने वसीयत दिनांक 10.02.1969 को प्रदर्शित एवं प्रमाणित माना है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के निर्णय 300/1978 में कोई अनियमितता नहीं मानी है और वादीगण को स्वच्छ हाथों (**not come with clean hand**) से नहीं आना व (**woefully lake in Merit**) मैरिट का भी पूर्ण रूप से अभाव माना है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

24

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर